<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 536 / 17</u> संस्थापन दिनांक:--19 / 07 / 17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

राजेश पिता केशव लोखंडे, उम्र 43 वर्ष, निवासी ससुंद्रा, थाना बैतूल, जिला बैतूल (उ.प्र.)

.....अ<u>भियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 19.07.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279 भा0दं०सं० के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 10.07.2017 को दोपहर करीब 03:30 बजे स्थान थाना आमला से 18 किलोमीटर पश्चिम में ससुंद्रा आमला रोड में वाहन अल्टो कार क. एमपी—09—सीक्यू—6196 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी संदीप दिनांक 10.07.2017 को अपनी स्कोड़ा रेपिड कार क. एमपी—48—सी—5188 से मुलताई से आमला आ रहा था। तभी ससुंद्रा गांव के अंदर देवठान तरफ से एक अल्टो कार क. एमपी—09—सीक्यू—6196 के चालक ने उसकी कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी जिससे उसकी गाड़ी में नंबर प्लेट, जाली, सोमने का बोनट चपटा हो गया। एक्सीडेंट में उसे कोई चोट नहीं आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में कार क. एमपी—09—सीक्यू—6196 के चालक के विरुद्ध अपराध क. 362/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से अल्टो कार क. एमपी—09—सीक्यू—6196 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी के द्वारा राजीनामा आवेदन पेश किया गया है परंतु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से राजीनामा आवेदन निरस्त कर अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन अल्टो कार क. एमपी—09—सीक्यू—6196 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

- 6 फरियादी संदीप (अ.सा.—1) अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना दिनांक 10.07.2017 की दोपहर 3—4 बजे की ससुंद्रा के पास की है। घटना के समय वह अपनी कार से आमला आ रहा था। जैसे ही वह ससुंद्रा गांव पहुंचा तो रास्ता सकरा होने के कारण सामने तरफ से एक अल्टो कार आ रही थी। दोनों गाड़ियां एक साथ रास्ते से नहीं निकल सकती थी परंतु सामने से आ रही अल्टो कार के चालक ने और उसने गाड़ी निकालने का प्रयास किया जिससे उन दोनों की गाड़ी टकरा गयी थी परंतु उसे कोई चोट नहीं आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने अल्टो कार के चालक के विरूद्ध प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि घटना के समय देवटान तरफ से आ रही अल्टो गाड़ी क. एमपी—09 सीक्यू—6196 के चालक ने तेजी और लापरवाही से चलाकर उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी।
- 7 उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट तो होता है कि घटना के समय अभियुक्त एवं फरियादी की कार की आपस में टक्कर हुई थी परंतु घटना के समय अभियुक्त द्वारा अल्टो कार क. एमपी—09—सीक्यू—6196 को

उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

- उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने वाहन अल्टो कार क. एमपी-09-सीक्यू-6196 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया फलतः अभियुक्त राजेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते हैं ।
- प्रकरण में जप्तशुदा अल्टो कार क. एमपी-09-सीक्यू-6196 उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदाय की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मुद्रलिखित। तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)